N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0196 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2024 15:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/02/2023 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2023

   Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:40 बजे **Time To (समय तक):** 12:40 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2024 15:22:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** COLLECTRATE KE SAMNE, KOTA ROAD BARAN, VERMA ZEROX/EMITARA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** TIRLOK CHAND RATHORE
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** PREMCHAND ROTHORE
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KOYALA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KOYALA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHANRAJ MEENA		पिता:BIRADILAL MEENA	1. KUNDLA,MANGROL,BARAN,RA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2023 को समय 03.40 पीएम पर एसीबी चौकी बारां पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर पुत्र श्री प्रेमचन्द राठौर निवासी कोयला तहसील व जिला बारां मो0न0 ने उपस्थित होकर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरा श्रमिक कार्ड पंजियन संख्या बी 28/2016/0123462 है। मैंने श्रमिक कार्ड के तहत मेरी पुत्रि लक्षिता राठौर कक्षा 10 वर्ष 2021 में व छात्रवृत्ति हेतु इदगाह चौराहा के पास ईमित्र से फार्म भरा था मेरी इसी बेटी का लक्षिता का कक्षा 9 में छात्रवृति हेतु श्री धनराज के इमित्र कलेक्टरी के बाहर बारां से फार्म भरा था। तब 500 रूपये फिस के धनराज को दिये थे वो छात्रवृति मेरे खाते में बैंक में फरवरी 2023 में 9000 रू आई थी। ये छात्रवृति पास कराने के बारां श्रम विभाग के अधिकारी के नाम पर धनराज मेरे से 2000 रूपये मांग रहा है। धनराज ने मुझे कहा कि मेरे 500 रूपये रहते है 1500 रूपये श्रम विभाग बारां के अधिकारी को देने पड़ेंगे। धनराज को मैंने 1000 रूपये रिश्वत के मेरे मोबाईल न0 से उसके मो0न0 पर फोन-पै से दिनांक 20.02.2023 को भेजे थे। धनराज मेरी बेटी लक्षिता के कक्षा 9 की छात्रवृति पास कराने के 1000 रूपये और रिश्वत मांग रहा है तथा कक्षा 10 की छात्रवृति पास कराने के 2000 रूपये रिश्वत मांग रहा है। मैं धनराज को और श्रम विभाग के अधिकारी को 3000 रूपये और रिश्वत नही देना चाहता हुं। श्रम विभाग का अधिकारी सीधी रिश्वत नही लेता है और धनराज के जरिये ही रिश्वत लेता है। मेरी धनराज व श्रम विभाग के अधिकारी से कोई रंजीश नही है। मेरे से धनराज व श्रम विभाग का अधिकारी उधारी के रूपये नही मांगते है । मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें" इत्यादि। परिवादी श्री त्रिलोकचन्द ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया और प्रार्थना पत्र के साथ सरल 2016 निर्माण श्रमिक कौशल विकास योजना में अपनी बेटी लक्षिता का कक्षा 10 वर्श 2021 में भरे गये आवेदन पत्र की प्रति, बेनिफिशयरी रजिस्ट्रेशन की प्रति, अपने आधार कार्ड की प्रति, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान हिताधिकारी पंजियन, आधार कार्ड एवं केनरा बैक के पास बुक की प्रति भी संलग्न की गई।। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने पर रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि रिश्वत लेने वाले अधिकारी एवं उसके दलाल धनराज का मालूम कर आईन्दा सत्यापन करवाने की बात कही। इस पर परिवादी को रिश्वत लेने वाले अधिकारी एवं उसके दलाल धनराज की मालूम कर बताने व मामले की गोपनियता बनाये रखने की समझाईश कर रवाना किया गया। दिनांक 22.02.2023 समय 12.40 पी0एम0 को परिवादी श्री त्रिलोकचन्द एसीबी चौक बारां पर उपस्थित आया जिसने बताया कि मेरे द्वारा दिनांक 21.03.22 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मैं रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के लिए तैयार हुं। दलाल धनराज व उसके जर्ये श्रम अधिकारी शंकर लाल से मेरी आज बात हो सकती है। इस पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी को चालू करके वार्ता रिकॉर्ड करने व बंद करने की संचालन प्रक्रिया की समझाईश कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड दिया गया। कार्यालय के श्री दिनेश कानि0 360 को बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के साथ श्री दिनेश कानि0 360 को निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 13.42 पी0एम0 पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर तथा श्री दिनेश कानि0 360 रवानाशुदा बाद सत्यापन वापस कार्यालय आये। परिवादी ने अपने पास से बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया तथा बताया कि मैं आपके कार्यालय से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर श्री दिनेश जी कानि0 के साथ अपने अपने वाहन से रवाना होकर आरोपी की ईमित्र की दुकान से कुछ दूरी पहले रूके तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर दिनेश जी कानि0 को वही इंतजार करने की कहकर आरोपी श्री धनराज के पास ईमित्र की दुकान पर पहुंचा जहां आरोपी श्री धनराज ईमित्र वाले से मैंने मेरी बेटी लक्षिता की छात्रवृति श्रम विभाग से स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में बातचीत की और धनराज को श्रम विभाग के अधिकारी के पास बात करने के लिए साथ जाने की कहा तो उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। मैं श्रम विभाग के अधिकारी के पास सीधा पहचान नही होने से नही गया। धनराज ने मेरी बेटी लक्षिता की कक्षा 9 वीं की छात्रवृति पास कराने के शेष एक हजार रूपये और कक्षा 10वीं की

छात्रवृति पास कराने के दो हजार रूपये कुल तीन हजार रूपये रिश्वत के मांगे जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने डी0वी0आर0 में कर ली। बातचीत करने के बाद में रवाना होकर इंतजार कर रहे श्री दिनेश जी कानि0 के पास आया डी0वी0आर0 को बन्द किया व श्री दिनेश जी कानि0 को सारी बात बताई। उसके बाद श्री दिनेश जी कानि0 व मैं रवाना होकर आपके पास कार्यालय आये। श्री दिनेश कानि0 360 से पुछने पर परिवादी के कथनो की पुष्टि की। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर रिकॉर्ड वार्ता को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चलाकर सुना तो वार्ता रिकॉर्ड होना एवं आरोपी श्री धनराज ईमित्र वाले का रिश्वत मांगने सम्बन्धि गोपनीय सत्यापन होना पाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई। परिवादी को ट्रेप कार्यवाही कराने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं पहले रिश्वत में दी जाने वाले रिश्वत राशि 3000 रूपये का इंतजाम करके आपको बता दुंगा। इस पर मामले की गोपनीयता बनाये रखने व रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु परिवादी श्री त्रिलोकचन्द को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 08.03.2023 समय 14.28 पी0एम0 पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल कर परिवादी से बात की तो परिवादी ने व्यस्त होना बताया तथा बाद में फोन करना बताया। दिनांक 09.03.2023 को समय 02.36 पी0एम0 पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी दलाल का होली के 1-2 दिन पहले मेरे पास फोन आया तब उसने होली के बाद बेटी की छात्रवृति स्वीकृति करा देने का बताया । परिवादी को ट्रेप कार्यवाही करवाने बाबत कहा तो परिवादी ने 3000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होना बताया। रिश्वत राशि की व्यवस्था कर परिवादी को बताने की एवं गोपनीयता बरतने की समझाईश की। परिवादी ने जल्दी ही रिश्वत राशि की व्यवस्था कर बताने की बताया। दिनांक 13.03.2023 को समय 01.49 पी0एम0 व समय 06.44 पी0एम0 पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो परिवादी ने कॉल रिसिव नही किया। दिनांक 14.03.2023 को समय 09.57 ए0एम0 पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 से श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल आया। श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उच्च न्यायालय जयपुर में राजकार्य में व्यस्त होने से मोबाईल साईलेन्ट होने से परिवादी का मोबाईल रिसीव नही कर पाये। समय 11.07 एएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाईल कॉल कर परिवादी को हाईकोर्ट जयपुर में होने का बताया व जरूरी सूचना होने की पूछा तो परिवादी ने जरूरी सूचना नही है बाद में बात करने की कहा। दिनांक 16.03.2023 को 09.22 एएम व 01.23 पीएम, दिनांक 20.03.2023 समय 03.33 एएम व 03.49 पीएम पर, दिनांक 24.03.2023 को समय 05.15 पीएम पर, दिनांक 28.03.2023 को समय 12.19 पीएम पर, दिनांक 31.03.2023 को समय 03.24 पीएम पर, दिनांक 05.04.2023 को समय 11.56 एएम पर, दिनांक 06.04.2023 को समय 04.30 पीएम पर, दिनांक 12.04.2023 को समय 12.40 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 18.04.2023 को समय 02.37 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। समय 05.05 पीएम पर परिवादी का कॉल आया वार्ता हुई। परिवादी से अग्रिम कार्यवाही की कहने पर भतीजे की शादी होने से 22.04.23 तक व्यस्त होना बताया। छात्रवृति खाते में जमा नही होना बताया। सोमवार 24.04.23 को संपर्क करने की बताया। परिवादी को गोपनीयता बरतने व आवश्यक समझाईश की। दिनांक 24.04.2023 को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमान आलोक श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक महोदय भ्र0नि0ब्यूरो कोटा रेंज कोटा को जर्ये टेलीफोन इस कार्यवाही के हालात निवेदन किये। दिनांक 26.04.2023 को समय 04.36 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल कर बात की तो परिवादी ने व्यस्त होना बताया तथा बाद में स्वयं फोन करने की कहा। दिनांक 08.05.2023 को समय 05.07 पीएम पर, दिनांक 10.05.2023 को समय 02.18 पीएम पर, दिनांक 11.05.2023 को समय 05.52 पीएम पर, दिनांक 12.05.2023 को समय 12.04 पीएम पर, दिनांक 15.05.2023 को समय 03.03 पीएम पर, दिनांक 17.05.2023 को समय 08.01 एएम एवं समय 04.30 पीएम पर, दिनांक 19.05.2023 को समय 12.40 पीएम एवं समय 12.42 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 24.05.2023 को समय 08.35 एएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो परिवादी ने छात्रवृति खातो में नही आना, दलाल द्वारा रिश्वत के लिए संपर्क नही करना बताया। घरेलू कार्य विवाह आदि आवश्यक कार्यो में व्यस्त होना बताया। परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। समय 08.37 एएम पर परिवादी को उसके मोबाईल पर फोन कर ट्रेप कार्यवाही के लिए कहा तो

परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होना बताया। आवश्यक कार्य में व्यस्त होना बताया। गोपनीयता बरतने व आवश्यक समझाईश परिवादी को की गई। दिनांक 31.05.2023 को समय 05.10 पीएम पर, दिनांक 05.06.2023 समय 05.47 पीएम पर परिवादी को कॉल किया ता नो रिप्लाई रहा। दिनांक 08.06.2023 समय 01.15 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमान एसपी साहब एसीबी कोटा रेंज कोटा को उनके कार्यालय में मिलकर इस कार्यवाही के हालात निवेदन किये। दिनांक 16.06.2023 को समय 12.22 पीएम पर व समय 02.04 पीएम पर, दिनांक 19.06.2023 को समय 04.40 पीएम पर, दिनांक 22.06.2023 को समय 05.33 पीएम पर, दिनांक 26.06.2023 को समय 02.02 पीएम एवं समय 02.03 पीएम पर परिवादी के मो0न0 पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 26.06.23 को समय 6.15 पीएम पर कार्यवाही के हालात श्रीमान डीआईजी साहब एसीबी कोटा रेंज को जर्ये टेलीफोन निवेदन किये। दिनांक 04.07.2023 को समय 03.31 पीएम पर एवं समय 03.32 पीएम एवं समय 03.41 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 05.07.2023 को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमान डीआईजी साहब एसीबी कोटा रेंज को कार्यालय में मिलकर इस ट्रेप कार्यवाही के हालात निवेदन किये। दिनांक 12.07.2023 को समय 11.30 एएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस श्रीमान डीआईजी साहब को कार्यवाही में हालात निवेदन किये और रिकॉर्डिंग सुनवाई। श्रीमान ने परिवादी से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश फरमाये। दिनांक 12.07.2023 को समय 06.38 पीएम पर तथा दिनांक 20.07.2023 को समय 11.19 एएम पर, दिनांक 11.08.2023 को समय 04.13 पीएम पर, 04.15 पीएम पर, समय 04.23 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 12.08.2023 को समय 09.45 एएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि दलाल धनराज ने मेरी बेटी के 11 वीं कक्षा की छात्रवृति के फार्म भरने की कहा। अभी सावन चल रहे है। मैं व्यस्त हुं। सावन के बाद कार्यवाही करवाउंगा। परिवादी को गोपनीयता बरतने की जरूरी समझाईश की। दिनांक 12.09.2023 को समय 03.06 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 15.09.2023 समय 08.29 एएम पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 से श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया व परिवादी ने स्वयं को दिनांक 12.09.2023 को बाहर भीलवाडा में होने व व्यस्त होने से फोन नही उठा पाना बताया और बताया कि सोमवार तक रिश्वत राशि का इंतजाम कर ट्रेप कार्यवाही करवा सकता हुं। परिवादी को गोपनीयता बरतने व जरूरी समझाईश की। दिनांक 18.09.2023 को समय 08.17 एएम पर परिवादी को कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया नो रिप्लाई रहा। समय 08.26 एएम पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 से श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया, परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि का इंतजाम हो गया है। मैं 10 एएम के लगभग कार्यालय में कार्यवाही के लिए उपस्थित हो जाउंगा। समय 11.51 एएम तक परिवादी उसके कहे अनुसार कार्यालय में उपस्थित नही आया इसलिए श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी ने कार्यवाही के लिए थोडी देर में कार्यालय में आने की कहा। समय 12.01 पीएम पर श्री लोकेश कानि0 362 को स्वतन्त्र गवाह की तलवी हेतु जिला आबकारी अधिकारी बारां के नाम कार्यालय पत्रांक 1384 दिनांक 18.09.2023 दिया जाकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला बारां रवाना किया गया। श्री लोकेश कानि0 362 स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया पुत्र श्री प्रहलाद पहाडिया जाति खटीक उम्र 39 साल निवासी जोनल हॉस्पिटल के पीछे कोटा रोड बारां हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां मो0न0 , श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री सज्जन मीणा जाति मीणा उम्र 22 साल निवासी कोटा रोड बारां हाल कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बारां मो0न0 को साथ लेकर कार्यालय आया। गवाहो से परिचय कर गवाहो को कार्यालय में बिठाया गया। समय 12.44 पी0एम0 पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि कार्यवाही के लिए तीन हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर आया हुं । परिवादी श्री त्रिलोकचन्द व दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया व श्री प्रदीप मीणा का आपस मे परिचय करवाया । दोनो गवाहो की होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय 12.55 पी0एम0 पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाने से निकलवाकर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द व आरोपी श्री धनराज के मध्य दिनांक 22.02.2023 को हुई वार्ता को श्री दिनेश कानि0 360 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिवाकर स्पीकर ऑन कर परिवादी व गवाहान को सुनाया। परिवादी ने वार्ता की पहचान कर एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी श्री धनराज ईमित्र वाले की व एक आवाज अन्य ईमित्र वाले की व एक आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो गवाह व परिवादी की उपस्थिति में श्री दिनेश कानि0

360 से हुबहु टाईप करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गयी। श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जर्ये टेलीफोन उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये गये तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा को जर्ये ईमैल प्रेषित की गई। समय 02.05 पी0एम0 पर आरोपी श्री धनराज ईमित्र वाले को बतौर रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर ने निर्देशानुसार अपने पास से 200 रूपये के पन्द्रह नोट कुल तीन हजार रूपये निकालकर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। भारतीय मुद्रा के उक्त नोट के नम्बर निम्न प्रकार है - क्र0स0 नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 4HT232359 2 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 6CV89124 3 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 0AG174221 4 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 5GW400304 5 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 2BS003556 6 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 4CW917703 7 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 2EE084664 8 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 9HL299943 9 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 4GT188853 10 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 0NG138698 11 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 2KA960577 12 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 3DW388057 13 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 5BW220705 14 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 5EG953039 15 एक नोट दो सौ रूपये का नम्बर 4HL503928 उक्त प्रस्तुत नोटो को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व दोनों सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखाकर श्री यशवन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया से लिवाई गई। परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 200 रूपये के पन्द्रह नोट कुल तीन हजार रूपये को परिवादी की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की सामने की दांहिनी जेब में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से रखवाया गया। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था तथा जिस प्लास्टिक के गिलास में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ धुलवाऐ गये थे उस अखबार व प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाकर नष्ट करवाया गया। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व शीशीयों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे तथा आरोपी से हाथ नही मिलावे अभिवादन की जरूरत पडे तो हाथ जोडकर करें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर रिश्वत प्राप्ति का ईशारा करे। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर को दिया जाकर चालू करने, वार्ता रिकॉर्ड करने एवं बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा आरोपी से रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत लेन-देन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय 03.22 पी0एम0 पर आरोपी श्री धनराज ई मित्र वाले की लोकेशन जानने हेतु परिवादी की उसके मोबाईल से आरोपी श्री धनराज के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई जिसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी की आरोपी से हुई वार्तानुसार आरोपी श्री धनराज ने परिवादी को बताया कि मेरा ऑपरेशन होने से डॉक्टर ने मुझे बैड रेस्ट दिया है। मैं ईमित्र की दुकान पर नही आ सकता हुं आप मेरे घर पर आ जाओ मैं आपको लेने मेरे लडके को भेज दुंगा। आरोपी श्री धनराज का स्वास्थ खराब होने से परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही नही करवाना चाहा तथा आईन्दा आरोपी के स्वस्थ होने पर सूचित कर कार्यवाही करवाना चाहा। इस पर ट्रेप कार्यवाही संभव नही होने से परिवादी की पहनी हुई जिसं की पेंट की सामने दाहिनी जैब में रखी रिश्वत राशि दौ सौ रूपये के पन्द्रह नोट कुल तीन हजार रूपये गवाह श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया से निकलवाकर एक खाकी कलर के लिफाफे में रखवाकर श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। फर्द प्राप्ति फिनॉफ्थलीन युक्त रिश्वत राशि पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04.22 पी0एम0 पर कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता को श्री दिनेश कानि0 360 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिवाकर परिवादी व गवाहान को स्पीकर ऑन कर सुनाया। परिवादी ने वार्ता सुनकर एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी

श्री धनराज की होना बताया। वार्ता की हुबहु ट्रांसक्रिप्ट श्री दिनेश कानि0 360 को निर्देश देकर तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद परिवादी को ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु आवश्यक समझाईश कर गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। स्वतन्त्र गवाहान को भी आवश्यक समझाईश कर गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 07.11.2023 को समय 15.37 पी0एम0 पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल नम्बर पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल से स्वयं ने वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री धनराज ईमित्र वाले का रूपयो के लिए फोन आया था तो मन उसे व्यस्त होना बताया। श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि मेरी बेटी लक्षिता की कक्षा 9 व कक्षा 10 की छात्रवृति मेरे बैंक खाते में जमा हो गई है। इस पर परिवादी को उसकी बैटी की छात्रवृति जमा होने से बैक खातो का स्टेटमेंट/पासबुक की फोटोप्रति जिसमें छात्रवृतियां जमा हुई उपलब्ध कराने की कहा तो परिवादी ने कहा कि मै अभी घरेलू/निजी काम में व्यस्त हू। फ्रि होकर आपसे सम्पर्क करता हू। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत व आवश्यक समझाईश की गई। दिनांक 05.01.2024 को समय 03.06 पीएम पर एवं समय 03.07 पीएम पर, दिनांक 10.01.2024 को समय 03.44 पीएम पर, समय 05.51 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा दिनांक 23.02.2024 को समय 02.08 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल पर कॉल किया तो कनेक्ट नही हुआ। परिवादी के मोबाईल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मोबाईल से कॉल करने पर अस्थाई तौर पर मोबाईल नम्बर उपयोग में नही होना सिस्टम ने बताया। तत्काल परिवादी के मोबाईल नम्बर पर फोन किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 29.02.2024 को समय 12.53 पीएम एवं समय 01.08 पीएम पर कॉल किया तो परिवादी का फोन नो रिप्लाई रहा। दिनांक 15.03.2024 को समय 02.00 पीएम पर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्रीमान डीआईजी साहब एसीबी कोटा रेंज को इस ट्रेप कार्यवाही पैण्डिग रहने बाबत परिवादी द्वारा फोन नही उठाने से पैण्डिग रहने के हालात निवेदन किये। समय 03.35 पीएम पर परिवादी को कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 16.03.2024 को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां का स्थानान्तरण एसीबी चौकी कोटा देहात हो जाने से मन उप अधीक्षक पुलिस को ट्रेप पत्रावली मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द की गई। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण की पत्रावली व मेमोरी कार्ड प्राप्त किया। मेमोरी कार्ड को मालखाने में मालखाना प्रभारी श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 से सुरक्षित रखवाया। दिनांक 22.04.2024 को समय 01.10 पीएम पर उप पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर के मोबाईल न0 एवं पर कॉल किया तो नो रिप्लाई रहा। दिनांक 17.05.2024 को समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर पुत्र श्री प्रेमचन्द राठौर जाति राठौर उम्र 40 साल निवासी कोयला थाना बारां सदर जिला बारां उपस्थित कार्यालय आया तथा एक स्वयं के हस्तलेख में प्रार्थना इस आशय का मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया कि दिनांक 21.02.2023 को मेंने श्री धनराज मीणा को रंगे हाथ पकडवाने के लिए आपके कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी जिस पर रिश्वत मांग का सत्यापन दिनांक 22.02.2023 को करवाया गया था। सत्यापन वार्ता में धनराज ने मेरी बेटी की छात्रवृति पास करवाने के बदले में 3000 हजार मांगे थे इससे पहले दिनांक 22.02.2023 को धनराज मीणा ने उसका मो0 पर मुझसे 1000 रूपये दो बार में 1 रूपया व 999 रूपये कुल 1000 रूपये रिश्वत राशि फोन पे से प्राप्त की थी जिसका स्क्रीन सोट आपको पेश कर रहा हुं, इसके बाद दिनांक 18.09.2023 मैंने रिश्वत राशि 200 रू के 15 नोट कुल तीन हजार रूपये एसीबी चौकी बारां एडिशनल एसपी साहब को पेश किये थे इन नोटो पर पावडर लगवाया था। उसके बाद उस दिन ट्रेप कार्यवाही नही हुई थी इसलिए एसीबी कार्यालय में रखे थे। इसके बाद में घरेलू काम में व्यस्त हो गया। इसलिए एसीबी चौकी पर नही आ सका। इस दोरान धनराज की तबीयत खराब हो गई। इस कारण उसने रिश्वत की कोई मांग नही की। इस दौरान नवीं व दसवीं कि छात्रवृति भी मेरे खाते में आ गई है। अब धनराज मीणा मेरे से रिश्वत राशि की मांग नही कर रहा है और नही उस सम्बन्ध में बात कर रहा है इसलिए मुझे लगता है कि वह रिश्वत राशि मुझसे नही लेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा 18.09.2023 को मेरे द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि 3000 रूपये मुझे वापस लौटाने की कृपा करें। परिवादी से पुछताछ की तो उसने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया तथा बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में की गई शिकायत पर की गई रिश्वत मांग के आधार पर ही आरोपी धनराज मीणा के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं बताये गये हालात से अब ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने की संम्भावना नहीं है। परिवादी के कार्यालय में उपस्थित तथा शेष कार्यवाही पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र गवाह तलब कर अग्रिम फर्द डबिंग की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने पर जर्ये दूरभाश उक्त कार्यवाही के पूर्व के स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया वरिष्ठ सहायक व श्री प्रदीप मीणा कनिष्ठ सहायक को तलब किया गया। जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय प्राप्त कर परिवादी से परिचय करवाया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2024 स्वतन्त्र गवाहान को पढवाकर हालात बताये जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.15 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहन श्री सुर्यप्रकाश पहाडिया वरिष्ठ सहायक व श्री प्रदीप मीणा कनिष्ठ सहायक के समक्ष दिनांक 22.02.2023 को परिवादी श्री

त्रिलोकचन्द राठौर एवं आरोपी श्री धनराज ईमित्र संचालक कलेक्ट्रेट परिसर जिला बारां के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता ऑडियो फाईल नम्बर 230222_1302 दिनांक 18.09.2023 को परिवादी की आरोपी से हुई मोबाईल वार्ता ऑडियो फाईल नम्बर 230918_1522 जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में 02 वार्ताएं रिकार्ड थी। तत्पश्चात् उक्त दोनो वार्ताओं को मूल मैमोरी कार्ड sandisk ultra 32gb A1 से 04 पैन ड्राईव sandisk 32gb में श्री दिनेश कानि0 360 से डब करवाये गए। डबिंग पैन ड्राईव में से एक पैन ड्राईव वजह सबूत न्यायायल के लिये, एक पैन ड्राईव आरोपी के लिये, एक पैन ड्राईव नमूना आवाज के लिये कपडे की थैलीयों मे पृथक-पृथक रखकर सील मोहर किये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। मूल मेमोरी कार्ड sandisk ultra 32gb A1 को कागज पर सभी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उसमें मेमोरी कार्ड को लपेटकर माचिस की डिब्बी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर वजह सबूत जप्त कर सील मोहर किया गया। कपडे की थैलियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर विवरण अंकित सील मोहर कर मालखाना प्रभारी श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 01.45 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री त्रिलोकचन्द राठौर की मालखाने में जमा रिश्वत राशि 3000 रूपयो से फिनॉफ्थलीन पावडर अच्छी तरह साफ करवाकर जरिये फर्द सुपुर्द की गई तथा शेष कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर सकुशल रूखसत किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि श्री त्रिलोकचन्द राठौर का श्रमिक कार्ड पंजियन संख्या बी 28/2016/0123462 है। परिवादी ने श्रमिक कार्ड के तहत उसकी बेटी लक्षिता राठौर की कक्षा 10 वर्ष 2021 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया। परिवादी की बेटी लक्षिता राठौर का कक्षा 9वीं में छात्रवृति हेतु आरोपी श्री धनराज के ईमित्र कलेक्टरी के बाहर बारां से फार्म भरवाया गया। परिवादी की बेटी लक्षिता राठौर की छात्रवृति परिवादी के खाते में फरवरी 2023 में 9000 रूपये प्राप्त हुई। आरोपी धनराज ईमित्र संचालक द्वारा परिवादी की 9वीं कक्षा की छात्रवृति पास कराने की एवज में श्रम विभाग के अधिकारी के नाम पर परिवादी से 2000 रूपये मांग की गई। इस पर आरोपी धनराज ने अपने मोबाईल नमबर पर परिवादी के मोबाईल नC से 1000 रूपये फोन-पै के माध्यम से दिनांक 20.02.2023 को डलवाकर बतौर रिश्वत प्राप्त किये तथा परिवादी से उसकी बेटी लक्षिता के कक्षा 9वीं की छात्रवृति पास कराने की शेष रिश्वत रषि 1000 रूपये तथा कक्षा 10वीं की छात्रवृति पास कराने के 2000 रूपये कुल 3000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में परिवादी द्वारा लिखित शिकायत एसीबी चौकी बारां पर पेश की गई है। परिवादी कि शिकायत पर दिनांक 22.02.2023 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में आरोपी द्वारा परिवादी की बेटी लक्षिता राठौर के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की छात्रवृति पास कराने की एवज में श्री शंकरलाल बलाई श्रम विभाग बारां के कार्मिक के नाम पर 3000 रूपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। बाद सत्यापन दिनांक 18.09.2023 को श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जाने से पूर्व आरोपी धनराज ईमित्र संलालक की लोकेशन जानने के लिये परिवादी से आरोपी के मोबाईल पर लाउड स्पीकर खोल कर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने स्वयं का ऑपरेशन होने तथा बैड रेस्ट पर होने की बात कही एवं छापर स्थित अपने घर पर आने हेतु कहा। इस पर परिवादी द्वारा आरोपी का ऑपरेशन होने से कार्यवाही नहीं करवायी तथा बाद में आरोपी द्वारा रिश्वत मांग नहीं करने पर परिवादी उपस्थित नहीं आया और ना ही फोन पर सम्पर्क किया। इसके बाद दिनांक दिनांक 17.05.2024 को परिवादी ने एसीबी कार्यालय बारां पर उपस्थित होकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि नहीं मांगने तथा उससे सम्पर्क नही होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के सबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर रिश्वत राशि 3000 रूपये वापस लोटाने के लिये निवेदन किया। इस पर स्वतंत्र गवाहान को तलब कर रिश्वत राशि लोटाने व डबिंग संबंधी शेष कार्यवाही पूर्ण की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री धनराज ईमित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादी त्रिलोक चन्द से उसकी बेटी लक्षिता की कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्रवृति पास कराने की एवज में 3000 रूपये श्रम विभाग के कर्मचारी/अधिकारी शंकरलाल के नाम पर रिश्वत राशि की मांग करना एवं 1000 रूपये रिश्वत राशि ऑन लाईन प्राप्त करने से आरोपी श्री धनराज मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी ग्राम कुण्डला थाना सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल संचालक वर्मा जेरोक्स/ईमित्र कलेक्ट्रेट के सामने कोटा रोड बारां (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित2018) में आरोपी श्री धनराज मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा उम्र 35 साल निवासी ग्राम कुण्डला थाना सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल संचालक वर्मा जेरोक्स/ईमित्र कलेक्ट्रेट के सामने कोटा रोड बारां (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की

रोजनामचा आम रपट 164 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 1058-60 दिनांक 10.09.2024 प्रतिलिपि:.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan Chand Meena **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 10.09.2024

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)